

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जून 7—जून 13, 2015, शनिवार/ज्येष्ठ 17—ज्येष्ठ 23, 1937

No. 24] NEW DELHI, JUNE 7—JUNE 13, 2015, SATURDAY/JYAISTHA 17—JYAISTHA 23, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 111.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) (समूह 'ग') तकनीकी पद भर्ती नियम 1999 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में समूह 'ग' तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) समूह 'ग' (तकनीकी) पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न, वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**यह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह और ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. स्टॉफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	6' (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए	लागू नहीं होता	आयु 18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार	आवश्यक :- (i) मोटर कार के चलाने के लिए विधिमानी चालन अनुज्ञप्ति रखता हो; (ii) मोटर यान की यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए); (iii) मोटर कार के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और (iv) दसवां स्तर पास बांछनीय :- होमगार्ड या सिविल रक्षा सेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जब चयन के किसी प्रक्रम पर

				द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2: यदि 'सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा' द्वारा सीधी भर्ती की जाती है, आयु सीमा 18 और 27 वर्ष के बीच होगी।	सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(8)			(9)		(10)	
लागू नहीं होता			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।		प्रतिनियुक्ति/आमेलेन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलेन किया जाएगा						
(11)						
प्रतिनियुक्ति/आमेलेन :- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में वेतन बैंड-1; 5200-20200 रुपए+ग्रेड वेतन 1800 में के ऐसे सवार-हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चालन की सक्षमता के निर्धारण के लिए मोटर चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति हैं जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में के पदधारियों में से जो नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण किए हुए है या वेतन बैंड -1; 5200-20,200 + ग्रेड वेतन 1800 में के ऐसे नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तब (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों।						
टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।						
टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।						
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना				भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
(12)				(13)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-				लागू नहीं होता।		
1. अवर सचिव (प्रशासन), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्था-घ), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य 3. अवर सचिव (स्था—क-I और ख-I), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य 4. अवर सचिव (पीएफ- III), गृह मंत्रालय - सदस्य						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. स्टाफ कार चालक श्रेणी-2	6* (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(8)				(9)		(10)
लागू नहीं होता				लागू नहीं होता		प्रोन्नति द्वारा
(11)						
प्रोन्नति :- वेतन बैंड- 1; 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए में के ऐसे स्टॉफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण पास किया हो।						

(12)					(13)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-					लागू नहीं होता ।	
1. अवर सचिव (प्रशासन), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - अध्यक्ष						
2. अवर सचिव (स्था-घ), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य						
3. अवर सचिव (स्था—क-I और ख- I) , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य						
4. अवर सचिव (पीएफ- III), गृह मंत्रालय - सदस्य						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. स्टाफ कार चालक श्रेणी-I	7' (2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(8)			(9)		(10)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		प्रोन्नति द्वारा	
(11)						
प्रोन्नति :- वेतन बैंड- 1; 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए में के ऐसे स्टाॅफ कार चालक (श्रेणी-2) जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की है या स्टाॅफ कार चालक श्रेणी-2 और स्टाॅफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में पन्द्रह वर्षों की सम्मिलित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण पास किया हो।						
(12)					(13)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-					लागू नहीं होता ।	
1. अवर सचिव (प्रशासन), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - अध्यक्ष						
2. अवर सचिव (स्था-घ), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य						
3. अवर सचिव (स्था—क-I और ख- I) , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य						
4. अवर सचिव (पीएफ- III), गृह मंत्रालय - सदस्य						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सवार हरकारा	5' (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी	आवश्यक :- (i) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्षा चालन के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हों। (ii) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्षा की यंत्र क्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए); (iii) मोटर साइकिल या ओटोरिक्षा चालन का दो वर्षों का अनुभव; और (iv) अंग्रेजी और हिन्दी या यंत्र जिसमें संबद्ध संगठन स्थित है की क्षेत्रीय भाषा पढ़ने की योग्यता हो वांछनीय : (i) दसवां स्तर उतीर्ण

				उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(ii) होम गार्ड या सिविल रक्षा सेवक के रूप में तीन वर्षों का अनुभव टिप्पण 1 – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखते वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
(8)		(9)		(10)	
लागू नहीं होता		दो वर्ष		प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	
(11)					
प्रतिनियुक्ति/आमेलन : कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में वेतन बैंड-1; 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1800 रुपए में के ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (समूह 'ग') में से जिनके पास मोटर साइकिल या आटो रिक्शा के चालन की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो; जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में के पदधारियों में से जो नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण किए हुए हैं या वेतन बैंड 1; 5200-20200 + ग्रेड वेतन 1800 में के ऐसे नियमित आधार पर बहुकार्य कर्मचारिवृन्द या नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तम्भ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए :- प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है: टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।					
(12)			(13)		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अवर सचिव (प्रशासन), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्था-घ), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य 3. अवर सचिव (स्था—क-I और ख- I), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य 4. अवर सचिव (पीएफ- III), गृह मंत्रालय – सदस्य			लागू नहीं होता।		

[फा. सं. ए-12018/1/2014-प्रशा.- III]

कुलभूषण मल्होत्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 20th April, 2015

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel

and Training) Group 'C' (Technical) posts Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Technical posts in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Department of Personnel and Training) Group 'C' (Technical) posts Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification, the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	6* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band - 1 Rs. 5200-20200 with	Not applicable	Between 18 and 25 years* (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance	Essential: (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor	Not applicable

			grade pay of Rs. 1900.	with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangl Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). * If the 'direct recruitment' is to be made by direct open competitive Examination, the age limit shall be between 18 and 27 years	mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in 10th standard. Desirable: Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. Note 1 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. Note 2 : In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
--	--	--	------------------------	---	---	--

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for direct recruits or re-employed	Deputation/absorption failing which by direct recruitment	Deputation/absorption : From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in the pay band-1 Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1800 in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; who possess valid driving licence for motor cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1800 in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) Consisting of: (1) Under Secretary (Administration), Department of Personnel & Training – Chairman (2) Under Secretary (Estt – D), Department of Personnel & Training – Member (3) Under Secretary (Estt – A-I & B.I), Department of Personnel & Training – Member (4) Under Secretary (PF-III), Ministry of Home Affairs – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Staff Car Driver Grade – II	6* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non- Ministerial	Pay band I Rs. 5200 - 20200 with grade pay of Rs. 2400	Non- selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	By promotion	Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the pay band-1 Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1900, with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government	Group 'C' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) Consisting of: (1) Under Secretary (Administration), Department of Personnel & Training – Chairman (2) Under Secretary (Estt –D), Department of Personnel & Training – Member (3) Under Secretary (Estt – A-I & B.I), Department of Personnel & Training – Member (4) Under Secretary (PF-III), Ministry of Home Affairs – Member. Group 'C' Departmental Promotional Committee (for considering confirmation) Consisting of: (1) Under Secretary (Administration), Department of Personnel & Training – Chairman (2) Under Secretary (Estt –D), Department of Personnel & Training – Member (3) Under Secretary (Estt – A-I & B.I), Department of Personnel & Training – Member (4) Under Secretary (PF-III), Ministry of Home Affairs – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Staff Car Driver Grade - I	7* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non- Gazetted, Non- Ministerial	Pay band-1 Rs. 5200- 20200 with grade pay of Rs. 2800	Non- Selection	Not applicable	Not applicable	Not Applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	By promotion	Promotion: Staff Car Driver Grade - II in pay band-1, Rs.5200- 20200 with grade pay of Rs. 2400 with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade -II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government	Group 'C' Departmental Promotional Committee (for considering promotion) Consisting of: (1) Under Secretary (Administration), Department of Personnel & Training - Chairman (2) Under Secretary (Estt - D), Department of Personnel & Training - Member (3) Under Secretary (Estt - A-I & B.I), Department of Personnel & Training - Member (4) Under Secretary (PF- III), Ministry of Home Affairs - Member. Group 'C' Departmental Promotional Committee (for considering confirmation) Consisting of: (1) Under Secretary (Administration), Department of Personnel & Training - Chairman (2) Under Secretary (Estt - D), Department of Personnel & Training - Member (3) Under Secretary (Estt - A-I & B.I), Department of Personnel & Training - Member (4) Under Secretary (PF- III), Ministry of Home Affairs - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Despatch Rider	5* (2014) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial	Pay band- 1, Rs. 5200 - 20200 with grade pay of Rs. 1900/- .	Not applicable	Between 18 and 25 years* (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the	Essential: (i) Possession of a valid driving license for driving motor cycle or auto rickshaw; (ii) Knowledge of motor cycle or auto rickshaw mechanism(The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor cycle or auto rickshaw for two years; and (iv) Ability to read English and Hindi or Regional Languages of the area in which the concerned organisation is situated. Desirable: (i) Pass in 10 th standard. (ii) Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable

					crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.		
--	--	--	--	--	--	--	--

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Ex-servicemen: Deputation/re-employment	Deputation/absorption: From amongst the regular Multi Tasking Staff (Group 'C') employees in the pay band-1 Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1800 in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; who possess valid driving licence for motor cycle or auto rickshaw; failing which from officials holding the post of Dispatch Rider or Multi Tasking Staff on regular basis or regular Group 'C' employees in the pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1800 in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). For Ex-Servicemen Deputation/re-employment : The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'C' Departmental Promotional Committee (for considering confirmation) Consisting of: (1) Under Secretary (Administration), Department of Personnel & Training – Chairman (2) Under Secretary (Estt – D), Department of Personnel & Training – Member (3) Under Secretary (Estt – A-I & B.I), Department of Personnel & Training – Member (4) Under Secretary (PF-III), Ministry of Home Affairs – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/1/2014-Ad.III]

KULBHUSHAN MALHOTRA, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय**(संपदा निदेशालय)**

नई दिल्ली, 10 जून, 2015

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में, सरकारी आवासों के आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आवासों के आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आवासों के आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 में, -

(i) अनुपूरक नियम 317-ख-2 में, खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

‘(त) “निकटतम संबंधी” से दादा, दादी, पोते, पोतियां, ससुर, सास, दामाद, बहू और ऐसे अन्य संबंधी अभिप्रेत हैं, जिनका संबंध आबंटिती के साथ विधिक दत्तक ग्रहण द्वारा सिद्ध किया गया है ;

(थ) “अतिथि” से आबंटिती के साथ अस्थायी रूप से ठहरने वाला अनियत अतिथि अभिप्रेत है।;

(ii) अनुपूरक नियम 317-ख-6 में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(5) प्रत्येक अधिकारी उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ घोषणा सहित एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि वह उसे आबंटित निवास या उससे संबद्ध उसके किसी भाग या किसी आउट हाउस, गैराज या अस्तबल उसकी स्वीकृति के पश्चात् उप किराये पर नहीं देगा।”;

(iii) अनुपूरक नियम 317-ख-20 में, -

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(1) कोई अधिकारी, अपने परिवार और निकटतम संबंधियों के सिवाय, उसे आबंटित निवास या उससे संबद्ध किसी आउट हाउस, गैराज और अस्तबल की किसी के साथ भागीदारी नहीं करेगा।

(1अ) नौकरों के क्वार्टरों, आउट हाउस, गैराज और अस्तबल का उपयोग, केवल वास्तविक प्रयोजनों, जिनके अंतर्गत आबंटिती के नौकरों के निवास या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो संपदा निदेशक द्वारा अनुज्ञात किए जा सकें, के लिए किया जा सकेगा।

(1आ) आबंटिती, जो अपने परिवार और/या निकटतम संबंधियों के साथ निवास की भागीदारी करता है, संपदा निदेशक को ऐसे प्ररूप में, जो संपदा निदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उसे आबंटित निवास में रह रहे अपने परिवार के सदस्यों और/या निकटतम संबंधियों की विशिष्टियां देते हुए पूर्व सूचना संपदा निदेशक को देगा;

परंतु अनियत अतिथि या अतिथियों के व्यौरे, यदि ऐसे अतिथि के पन्द्रह दिन से अधिक ठहरने की संभावना है, संपदा निदेशक को ऐसे प्ररूप में, जो संपदा निदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, व्यक्ति या व्यक्तियों की पूर्व विशिष्टियां सूचित की जाएगी।”;

(ख) उपनियम (2) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु छुट्टी पर जाने वाला आबंटिती निवास में अपने परिवार के किसी सदस्य या निकटतम संबंधी को केयर टेकर के रूप में ठहराने के लिए अपने छुट्टी के आवेदन के साथ अपने परिवार के ऐसे सदस्य या निकट संबंधी के व्यौरे अपने कार्यालय या नियंत्रण प्राधिकारी, जो उसे अभिलेख में रखेगा, को प्रस्तुत करेगा;

परंतु यह और कि किसी केयर टेकर द्वारा ऐसे ठहराव की अधिकतम अवधि अनुपूरक नियम 317-ख-11(2) में यथा विनिर्दिष्ट, परंतु छह मास से अधिक नहीं होगी।”;

(iv) अनुपूरक नियम 317-ख-21 में,-

(क) उपनियम(2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) यदि कोई अधिकारी उसे आबंटित निवास या उससे संबद्ध उसका कोई भाग या किसी आउट हाउस, गैराज या अस्तबल, इन नियमों के उल्लंघन में उप किराये पर देता है, तो किसी अन्य कार्यवाही, जो उसके विरुद्ध की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस पर संपदा निदेशालय द्वारा निरीक्षण की तारीख से ऐसी नुकसानियां प्रभारित की जा सकेंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अवधारित की जाए।”;

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3अ) जहां परिसरों की अप्राधिकृत उप किरायेदारी के कारण आबंटन को रद्द करने की कार्यवाही की जाती है, वहां संपदा निदेशक द्वारा आबंटिती के संबंधित प्रशासनिक कार्यालय को उन प्रयोजनों के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने और भारी शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रारूप आरोप पत्र की प्रति सहित निदेश जारी किया जाएगा; तथा प्रशासनिक मंत्रालय संपदा निदेशक को आबंटिती के विरुद्ध विरचित आरोपों के ब्यौरे और अधिरोपित शास्ति सूचित करेगा।”

[फा.सं. 12035/4/2014-नीति II]

स्वर्णाली बनर्जी, संपदा उप निदेशक (नीति)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 1330, तारीख 11 मई, 1963 को प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए :

1	का.आ. 1607, तारीख 24 अप्रैल, 1982	16	सा.का.नि. 239, तारीख 21 जुलाई, 1999
2	का.आ. 4202, तारीख 18 दिसम्बर, 1982	17	सा.का.नि. 27, तारीख 13 जनवरी, 2001
3	सा.का.नि. 159, तारीख 19 फरवरी, 1983	18	सा.का.नि. 346, तारीख 23 जून, 2001
4	का.आ. 2085, तारीख 11 मई, 1985	19	सा.का.नि. 528(अ), तारीख 13 जुलाई, 2001
5	का.आ. 666, तारीख 22 फरवरी, 1986	20	सा.का.नि. 52, तारीख 1 फरवरी, 2003
6	सा.का.नि. 530, तारीख 11 जुलाई, 1987	21	सा.का.नि. 182, तारीख 26 अप्रैल, 2003
7	सा.का.नि. 796, तारीख 24 अक्टूबर, 1987	22	सा.का.नि. 20, तारीख 3 फरवरी, 2009
8	सा.का.नि. 265, तारीख 30 मई, 1992	23	सा.का.नि. 128, तारीख 21 अगस्त, 2009
9	सा.का.नि. 150, तारीख 26 मार्च, 1994	24	सा.का.नि. 41, तारीख 5-11 फरवरी, 2012
10	सा.का.नि. 447, तारीख 3 सितम्बर, 1994	25	सा.का.नि. 263(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2013
11	सा.का.नि. 454, तारीख 14 अक्टूबर, 1995	26	सा.का.नि. 444(अ), तारीख 28 जून, 2013
12	सा.का.नि. 542, तारीख 30 नवम्बर, 1996	27	सा.का.नि. 685(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2013
13	सा.का.नि. 58(अ), तारीख 28 जनवरी, 1998	28	सा.का.नि. 768(अ), तारीख 28.11.2013
14	सा.का.नि. 287, तारीख 1 जून, 1998	29	सा.का.नि. 49, तारीख फरवरी, 23 – मार्च 1, 2014
15	सा.का.नि. 225, तारीख 12 नवम्बर, 1998	30.	सा.का.नि. 737(अ), तारीख 21.10.2014

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DIRECTORATE OF ESTATES)

New Delhi, the 10th June, 2015

G.S.R. 112 .—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following further amendments to the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules 1963, namely:-

1. (1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules 1963,

(i) in Supplementary Rule 317-B-2, after clause (o), the following clauses shall be inserted, namely:

‘(p) “immediate relations” mean such relations as grandfather, grandmother, grandsons, grand daughters, father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law and such other relation established by legal adoption to the allottee;

(q) “guest” means a casual visitor for temporary stay with the allottee.’;

(ii) in Supplementary Rule 317-B-6, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(5) Every officer shall along with an application under sub-rule (1), submit an undertaking with a declaration that he shall not sublet a residence allotted to him or any portion thereof or any of the out-houses, garages or stable appurtenant thereto, after acceptance of the same.”;

(iii) in Supplementary Rule 317-B-20, -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(1) No officer shall share the residence allotted to him or any of the out-houses, garages and stables appurtenant thereto except with his family and immediate relations.

(1A) The servant quarters, out-houses, garages and stables may be used only for the bonafide purposes including residence of the servants of the allottee or for such other purposes as may be permitted by the Director of Estates.

(1B) The allottee who share the residence with his family and/or immediate relations shall provide prior intimation to the Director of Estates in such form, as may be specified by the Directorate of Estates, furnishing full particulars of his family members and/or immediate relations residing in the residence allotted to him.

Provided that the details of casual visitor or visitors, if such visitor or visitors is likely to stay for more than fifteen days, shall be intimated to the Director of Estates in such form, as may be specified by the Directorate of Estates, intimating full particulars of the individual or individuals.”;

(b) for the proviso to sub-rule (2), the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that an allottee proceeding on leave may accommodate, in the residence any member of his family or immediate relations, as a caretaker, by submitting, along with his leave application, the details of such member of his family or immediate relation, to his office or controlling authority who shall place the same on record:

Provided further that the maximum period of such accommodation by a caretaker shall be as specified in SR 317-B-11(2) but not exceeding six months.”;

(iv) in Supplementary Rule 317-B-21, -

(a) for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) If an officer sublets a residence allotted to him or any portion thereof or any of the out-houses, garages or stable appurtenant thereto, in contravention of these rules, he may without prejudice to

any other action that may be taken against him, be charged such damages from the date of inspection by the Directorate of Estates, as may be determined by the Central Government from time to time, in this respect.”;

(b) after the sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3A) Where an action to cancel the allotment is taken on account of unauthorised subletting of the premises, a direction shall be issued by the Director of Estates to the concerned administrative office of the allottee for the purposes of initiation of Departmental proceedings and for imposition of major penalty, along with the copy of a draft charge sheet; and the administrative Ministry shall intimate the Director of Estates the details of the charges framed and the penalty imposed on the allottee under this rule.”

[F. No. 12035/4/2014-Pol.II]

SWARNALI BANERJEE, Dy. Director of Estates (Policy)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O.1330, dated the 11th May, 1963 and subsequently amended vide the following notification numbers:

1	S.O. 1607, dated 24 th April, 1982	16	G.S.R. 239, dated 21 st July, 1999
2	S.O. 4202, dated 18 th December, 1982	17	G.S.R. 27, dated 13 th January, 2001
3	G.S.R. 159, dated 19 th February, 1983	18	G.S.R. 346, dated 23 rd June, 2001
4	S.O. 2085, dated 11 th May, 1985	19	G.S.R. 528(E), dated 13 th July, 2001
5	S.O. 666, dated 22 nd February, 1986	20	G.S.R. 52, dated the 1 st February, 2003
6	G.S.R. 530, dated 11 th July, 1987	21	G.S.R. 182, dated 26 th April, 2003
7	G.S.R. 796, dated 24 th October, 1987	22	G.S.R. 20, dated 3 rd February, 2009
8	G.S.R. 265, dated 30 th May, 1992	23	G.S.R. 128, dated 21 st August, 2009
9	G.S.R. 150, dated 26 th March, 1994	24	G.S.R. 41, dated 5-11, February, 2012
10	G.S.R. 447, dated 3 rd September, 1994	25	G.S.R. 263(E), dated 23 rd April, 2013
11	G.S.R. 454, dated 14 th October, 1995	26	G.S.R. 444(E), dated 28 th June, 2013
12	G.S.R. 542, dated 30 th November, 1996	27	G.S.R. 685(E), dated 14 th October, 2013
13	G.S.R. 58(E), dated 28 th January, 1998	28	G.S.R. 768(E), dated 28.11.2013
14	G.S.R. 287(E), dated 1 st June, 1998	29	G.S.R. 49, dated February 23- March 1, 2014
15	G.S.R. 225, dated the 12 th November, 1998	30	G.S.R. 737(E) dated 21.10.2014

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 2015

सा.का.नि. 113. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, डाटा एंट्री ऑपरेटर (श्रेणी 'क', 'ख' और 'ग') और डाटा प्रोसेसिंग सहायक श्रेणी- 'क', भर्ती नियम, 2000, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'क' और डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'ख' के पदों से संबंधित हैं, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग इलेक्ट्रॉनिक डाटा शाखा समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, आंकड़ा प्रविष्टि ऑपरेटर (श्रेणी 'क', और 'ख') भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि: पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. आंकड़ा प्रविष्टि ऑपरेटर श्रेणी 'क'	7* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-I, 5200-20200 रुपए और ग्रेड वेतन 2400 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवक के मामले में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण :- 1 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समतुल्य से गणित एक विषय के रूप में विज्ञान में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ख) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए कंप्यूटर पर 15000 की (शब्द) प्रति घंटा की गति की परीक्षा ली जाएगी। टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के	लागू नहीं होता

						विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)			(11)		(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति या लम्बी छुट्टी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए पदधारी के पद पर नहीं होने के कारण हुई रिक्तियाँ प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से भरी जा सकती हैं जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, और जिनके पास सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ (7) के अधीन अधिकथित अर्हताएँ हैं।			लागू नहीं होता		समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति:- 1. निदेशक या उप सचिव, कार्मिक प्रभाग के प्रभारी - अध्यक्ष 2. अवर सचिव या समतुल्य, संबंधित प्रभाग के प्रभारी - सदस्य 3. अवर सचिव, कार्मिक प्रभाग के प्रभारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2 आंकड़ा प्रविष्टि ऑपरेटर श्रेणी 'ख'	5* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-I, 5200-20200 रुपए ग्रेड वेतन 2800 रूपए सहित	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवक के मामले में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयुक्त या डीओईएसीसी – ए स्तर का एक वर्ष का डिप्लोमा सहित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित एक विषय के रूप में विज्ञान में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और सरकारी कार्यालय/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ स्वैच्छिक/ स्वायत्त संगठनों/ मान्यता प्राप्त संस्थान में ईडीपी कार्य में दो वर्ष का अनुभव: या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयुक्त/सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर विज्ञान में बैचलर डिग्री। या (ii) आंकड़ा प्रविष्टि कार्य के लिए कंप्यूटर पर 15000 की शब्द प्रति घंटा की गति की कुंजी दबाव परीक्षा ली जाएगी। टिप्पण 1: योग्यता संबंधी अर्हता या सुअर्हित अभ्यर्थियों के लिए उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हता और अनुभव में छूट दी जा सकती है यदि सक्षम प्राधिकारी के मतानुसार किसी स्तर पर ऐसा महसूस किया जाता है कि इन वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है।	लागू नहीं होता

(9) सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(10) 80 % प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 20 % सीधी भर्ती द्वारा	(11) प्रोन्नति :	(12) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए):-	(13) लापू नही होता ।
		आंकड़ा प्रविष्टि आपरेटर श्रेणी 'क', वेतन बैंड-1 में 5200 -20200 रु, 2400 रु. सहित उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा और उस पद से संबंधित उच्चतर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के क्षेत्र में 2-3 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । प्रतिनियुक्ति केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रु. में 2400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 05 वर्ष की सेवा की है; और (ख) सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ (7) में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों; टिप्पण -1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण -2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण - 3:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए):- - निदेशक या उप सचिव, कार्मिक प्रभाग के प्रभारी - अध्यक्ष - अवर सचिव या समतुल्य, संबंधित प्रभाग के प्रभारी - सदस्य - अवर सचिव, कार्मिक प्रभाग के प्रभारी - सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति:- - निदेशक या उप सचिव, कार्मिक प्रभाग के प्रभारी - अध्यक्ष - अवर सचिव या समतुल्य, संबंधित प्रभाग के प्रभारी - सदस्य - अवर सचिव, कार्मिक प्रभाग के प्रभारी - सदस्य	

[फा. सं. 12018/08/2012-स्था-II (पार्ट)]

सुनील कुमार स्वर्णकार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 25th May, 2015

G.S.R. 113.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Agriculture and Cooperation, Data Entry Operator (Grade 'A', 'B' & 'C') and Data Processing Assistant Grade 'A' Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to posts of Data Entry Operator Grade 'A' and Data Entry Operator Grade 'B', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Electronic Data Processing discipline Group 'C' posts in the Ministry of Agriculture" Department of Agriculture and Cooperation, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Data Entry Operator (Grade 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade pay/Pay Scale	Whether Selection or Non-Selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Data Entry Operator Grade 'A'	7 (2015)* *(subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	P.B-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	18 and 25 years (Relaxable upto 40 years in case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(7)	(8)
(a) 12th standard pass in Science stream with mathematics as a subject from a recognised Board or equivalent. (b) A speed test of not less than 15000 key depressions per hour for data entry work to be ascertained through speed test on computer. Note: The qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable

Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	Direct Recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer or deputation or long leave or study leave or under other circum-stances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officials of the Central Government holding analogous posts and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee :- 1. Director or Deputy Secretary, Incharge of Personnel Division —Chairman 2. Under Secretary or equivalent,, Incharge of Concerned Division —Member 3. Under Secretary, Incharge of Personnel Division —Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Data Entry Operator Grade 'B'	5 (2015)* *(subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	P.B-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2800	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable upto 40 years in case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: 1 The crucial date for determining the age

					limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th Standard Pass in Science stream with mathematics as a subject from a recognized board with one year diploma in Computer Applications or DOEACC–A level from a recognized institute and two years experience in EDP work in a Government Office/PSU/Statutory/Autonomous Organizations/recognized institutions; OR Bachelor's Degree in Computer Applications/ Information Technology/ Computer Science of a recognized University/ Institute. (ii) A Speed test of not less than 15000 key depressions per hour for data entry work to be ascertained through speed test on computer. Note-1: The qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note-2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits	80% by Promotion failing which by Deputation 20% by Direct Recruitment

(11)
Promotion: Data Entry Operator Grade 'A' in Pay Band – 1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400 with five years' regular service in the grade and have successfully completed training of 2-3 weeks in the area related to higher duties and responsibilities to the post. Deputation: Officials under Central Government (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB – 1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7. Note 1: The Departmental Officers in the feeder grade category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation; Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. Note 3 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 [the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended], shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is a normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Promotion) :- 1. Director or Deputy Secretary, Incharge of Personnel Division –Chairman 2. Under Secretary or equivalent, Incharge of Concerned Division –Member 3. Under Secretary, Incharge of Personnel Division –Member Group 'C' Departmental Confirmation Committee :- 1. Director or Deputy Secretary, Incharge of Personnel Division –Chairman 2. Under Secretary or equivalent, Incharge of Concerned Division –Member 3. Under Secretary, Incharge of Personnel Division –Member	Not applicable

[F.No.12018/08/2012-E.II(pt.)]

SUNIL KUMAR SWARNKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जून, 2015

सा.का.नि. 114.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सहकारिता विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी अन्वेषक भर्ती नियम, 1995 को, जहां तक उनका संबंध आर्थिक अन्वेषक और कृषि और सहकारिता विभाग (ज्येष्ठ आर्थिक अन्वेषक और ज्येष्ठ सांख्यिकी अन्वेषक) भर्ती नियम, 1995 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ आर्थिक अन्वेषक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग आर्थिक अधिकारी और सांख्यिकी अन्वेषक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, आर्थिक अधिकारी और सांख्यिकी अन्वेषक भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (12) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. आर्थिक अधिकारी	*2 (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. (ग्रेड वेतन 4600-रूपये)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9) लागू नहीं होता	(10) प्रोन्नति द्वारा	(11) प्रोन्नति : ऐसा आर्थिक अन्वेषक वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु +. ग्रेड वेतन 4200 रु. नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और आर्थिक विश्लेषण, नीति विश्लेषण और योजना में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पण 1 – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 – प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए	(12) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) कृषि और सहकारिता विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (कार्मिक) कृषि और सहकारिता विभाग - सदस्य 3. अवर सचिव (कार्मिक) कृषि और सहकारिता विभाग - सदस्य	(13) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. आर्थिक अन्वेषक	*5 (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचित	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. (ग्रेड वेतन 4200-रुपये)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 1 :- केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के मामले में पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक : आर्थिक या आर्थिक अनुप्रयुक्त या कारोबार आर्थिक या अर्थमिति में स्नातकोत्तर डिग्री। टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शैक्षणिक अर्हता शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा टिप्पण: किसी पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश लेने या अन्य परिस्थितियों के कारण पर रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा जो; (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण करते हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 2800 रु. सहित में नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अनुसार सीधे भर्ती	लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) – अध्यक्ष 2. निदेशक या उप-सचिव (व्यापार) – सदस्य 3. निदेशक या उप-सचिव (कार्मिक) – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	क्रिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं एवं अनुभव।			
--	--	--	--	--

[फा. सं. 12018/4/2012-स्था-II]

सुनील कुमार स्वर्णकार, अवर सचिव

New Delhi, the 12th June, 2015

G.S.R. 114.—exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Agriculture and Co-operation (Economic and Statistical Investigator) Recruitment Rules, 1995, insofar as they relates to the post of Economic Investigator and the Department of Agriculture and Co-operation (Senior Economic Investigator and Senior statistical Investigator) Recruitment Rules, 1995, in so far as they relates to the post of Senior Economic Investigator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Economic Officer and Economic Investigator in the Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture, namely :-

1 Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Economic Officer and Economic Investigator Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or scale of pay.—The number of the said post, its classification and Pay Band and Grade Pay or the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3 Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (12) of the said Schedule.

4 Disqualifications.—No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5 Power to relax .—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6 Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, The Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or Non-Selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.Economic Officer	2* (2015) * (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Pay Band 2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4600	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(6)	(7)
Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable	Not Applicable	By Promotion	Promotion:- Economic Investigator in Pay Band 2, Rs. 9300-34800/- with grade pay Rs. 4200/- and with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto and successfully completed training of 2 to 4 weeks in techniques of Economic Analysis, Policy Analysis and Planning. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee 1. Joint Secretary (Administration) Department of Agriculture and Co-operation-- Chairman 2. Director or Deputy Secretary (Personnel) Department of Agriculture and Co-operation -- Member 3. Under Secretary (Personnel) Department of Agriculture and Co-operation -- Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Economic Investigator	5* (2015) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'B', Non Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band 2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4200	Not applicable

(6)	(7)
Not exceeding 30 years Note 1: Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	Essential: Post Graduate Degree in Economics or Applied Economics or Business Economic or Econometrics. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in posts in the Pay Band-I (Rs.5200-20200 with Grade Pay Rs.2800); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.	Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : (1) Joint Secretary (Administration) - Chairman (2) Director or Deputy Secretary (Trade) - Member (3) Director or Deputy Secretary (Personnel) - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 12018/4/2012-E-II]

SUNIL KUMAR SWARNKAR, Under Secy.

संख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जून, 2015

सा.का.नि. 115.—राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायाधीश के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, संगणक केन्द्र, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, संगणक केन्द्र, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद संशोधन भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(2) संख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, संगणक केन्द्र, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में, स्तंभ 12 के अधीन 'समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)' शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर 'समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)' शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. ए-46011/1/2011-एडी-III]

एस. के. राय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3(i) तारीख 28 दिसम्बर, 2013 को सा.का.नि. सं. 293 तारीख 19 दिसम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 10th June, 2015

G.S.R. 115.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Computer Centre, Library and Information Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2013 namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Computer Centre, Library and Information Assistant, Group 'B' Post (Amendment) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Computer Centre, Library and Information Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2013, under the Column No. 12, for the words, letter and figures "Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation)", the words, letter and figure "Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation)" shall be substituted.

[F. No. A-46011/1/2011-Ad. III]

S. K. ROY, Under Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India Part II, Section 3(i) dated 28th December, 2013, vide number G.S.R. 293 dated 19th December, 2013.